

## फर्द अहकाम

### पूरण बनाम महेश बाज्या उर्फ मुन्ना चौधरी

वाद संख्या: 8/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 पेश किया। वादी ने प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 का जवाब पेश किया। दिनांक 15.05.2024 को पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।</p> <p>पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे कि वे वाद पत्र के पैरा नं० एक में वर्णित वादी की वादग्रस्त खातेदारी कृषि खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.0771 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.0521 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1292 वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर वादी की कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा या अवरोध कारीत नही करे न अन्य से करवाये, वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करे।</p> <p>बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम बुद्धसिंहपुरा पटवार हल्का श्योपुर तह० सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 249/2, 252 का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाज्ञान के पश्चात् वादी की भूमि की सीमा चिन्हों को प्रतिवादी किसी तरह इधर-उधर नही करे। सीमाचिन्ह होने के पश्चात् प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वदी की जमीन में दखल नही देवे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सुनाया गया।</p> <p>( हिममत सिंह ) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर) जयपुर</p>	

